

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 09/2021

उनवान

1. सुखराम पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
2. महेन्द्रजीत पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

1. रामजी पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
2. कमजी पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
3. माधवलाल पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
4. नानूलाल पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क नि. टामटिया राठोड तहसील गढी।
5. भूमिधारी, तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बॉसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम निर्णय

दिनांक: 24.3.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण कि वंशावली निम्नानुसार है:-

मोगजी

--	--	--	--	--	--

रामजी कमजी माधवलाल नानूलाल सुखराम महेन्द्रजीत

वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मोगजी पिता मोती जाति भील निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी के स्वामित्व व आधिपत्य तथा खातेदारी के खेत खाता संख्या नई 152 व पुराना 211 के आराजी सर्वे नम्बर 136 रकबा 0-07 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 143 हैक्टर रकबा 0-02, आराजी सर्वे नम्बर 151 रकबा 0-08 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 152 रकबा 0-04 हैक्टर आराजी सर्वे नम्बर 160 रकबा 0-20 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 168 रकबा 0-13 हैक्टर आराजी सर्वे नम्बर 179 रकबा 0-11 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 180 रकबा 0-13 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 186 रकबा 0-09 हैक्टर, आराजी सर्वे नम्बर 189 रकबा 0-20 हैक्टर कूल सर्वे नम्बर 10 कूल रकबा 1-07 हैक्टर स्थित ग्राम टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा में स्थित है तथा उक्त जमीन पर वादी व प्रतिवादीगण का समान रूप से हक त हीत नीहित है। वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वज मोगजी पिता मोती जाति भील निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी बॉसवाडा कि मृत्यु हो जाने से राजस्व कर्मचारीयो कि गलती से वीरासत में नामान्तरण संख्या 533 दिनांक 22-12-2010 के द्वारा मात्र प्रतिवादीगण के नाम से नामान्तरित कर राजस्व अभीलेख में प्रतिवादीगण को खातेदारी के रूप में प्रविष्टि की गई हैं जबकि वादीगण भी मृतक मोगजी

मिता माली जाति भील निवासी टामटिया राठौड़ तहसील गढ़ी की पूत्र सन्तान होकर प्रतिवादीगण के समान रूप हित है। परन्तु राजस्व कर्मकारियों कि मालती से राजस्व अमिलेख ने मात्र प्रतिवादीगण के नाम से प्रविष्टी की गई है जबकि वास्तविक स्थिती अनुसार वादीगण भी सहखातेदार होने से वादीगण को सह खातेदार कृपक घोषित कर वादीगण को सह खातेदार के रूप में प्रविष्टी कि जानी आवश्यक होने से वादीगण द्वारा वाद घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दूरस्ती का पेश करना आवश्यक होने से वादीगण का वाद प्रस्तुत है। वादग्रस्त जमीन पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त जमीन हेतु वादीगण द्वारा अमी- अमी लगभग एकमाह हुरे प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ में झगडा फसाद किया तथा कहा दिवादग्रस्त खेत समस्त हम प्रतिवादीगण के नाम से आप वादीगण उक्त खेत में खेती नहीं करना जिस पर वादीगण द्वारा राजस्व अमीलेख कि नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आने से वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दूरस्ती कावाद पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगदीश सिंह, अमिभाषक का वकालातनाम पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया। प्रकरण में बकुलाय की बहस चुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन करने एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, खाता संख्या 152 (नई) 211 (पुरानी) की नकल जमाबन्दी संवत 2064 से 2067, खाता संख्या 203 (नई) 188 (पुरानी) की नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075, खाता संख्या 164 (नई) 156 (पुरानी) की नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075, खाता संख्या 188 (नई) 152 (पुरानी) की नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 2071, आधार कार्ड, नकल नामानतरकरण संख्या 533, ग्राम पंचायत टामटिया राठौड़ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, सहमती पत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार स्व० श्री मोगजी के वारिसान है।

अतः पटवार हल्का टामटिया राठौड़ के मौजा टामटिया राठौड़ की खाता संख्या 188 (नई) 152 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ सुखराम, महेन्द्रजीत को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का टामटिया राठौड़ के मौजा टामटिया राठौड़ की खाता संख्या 188 (नई) 152 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ सुखराम, महेन्द्रजीत को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है। निर्णय आज दिनांक 24.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

डिफेंडी व मुकदमे की इज्जतजाई

(आ. 20 निगम 17 जाब्ला दीवानी)

अज्ञ अतालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 09/2021

सनवान

1. सुखशम पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा राजस्थान ।
2. महेन्द्रजीत पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा राजस्थान ।

—: वादीगण

बनाम

1. रामजी पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा राजस्थान ।
2. कमजी पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा राजस्थान ।
3. माधवलाल पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टामटिया राठोड तहसील गढी जिला बॉसवाडा राजस्थान ।
4. नानूलाल पिता मोगजी जाति भील उम्र वयस्क नि. टामटिया राठोड तहसील गढी ।
5. भूमिधारी, तहसीलदार, तहसील अरधुना जिला बॉसवाडा ।

—: प्रतिवादीगण

मात्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 24.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का टामटिया राठोड के मौजा टामटिया राठोड की खाता संख्या 188 (नई) 162 (पुरानी) में प्रतिवादीगण के साथ सुखशम, महेन्द्रजीत को सहखातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तूर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिंग शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बराबत मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 24.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) IAs
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुतई	रूपया पैसा	मुदवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प तहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	पीस कमिश्नर	शून्य
पीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
		कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी